

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई-33/जोन-कोटा/एफ.09/2024/459 दिनांक 23.04.2024.

आदेश

निम्नलिखित कार्मिक के राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने पर नाम के सम्मुख अंकित तिथि पर मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम/ पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	प्रथम नियुक्ति दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	श्री विश्वम्भर दयाल, लैब टैक्नीशियन	खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा-राज0	06.08.1964	24.11.1984	31.08.2024

कर्मचारी के विरुद्ध:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधिन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/जोन-कोटा/एफ.09/2024/459.

दिनांक 23.04.2024.

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयरविभाग, राजस्थान, कोटा/जयपुर।
- खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा-राज0।
- संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रक अधिकारी।
- श्री विश्वम्भर दयाल, लैब टैक्नीशियन, पदस्थापन स्थान
खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा-राज0
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड वास्तें।
- डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।
- निजी/आदेश पत्रावली।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6463191

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <ras/rakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :09-04-2024 03:06:03